

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक – 23.04.2026

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में नामजद/वांछित 02 अभियुक्तों को आलाकत्ल सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 97/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(3)/118(1)/109/103(1) बीएनएस में नामजद वांछित अभियुक्त 01. जॉनी पुत्र राजवीर 02. शनी पुत्र राजवीर निवासीगण घसिया चिलौली कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल (दो डण्डा लकड़ी के) सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01. जॉनी पुत्र राजवीर निवासी घसिया चिलौली कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।
02. शनी पुत्र राजवीर निवासी घसिया चिलौली कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- वादी श्री विपिन कुमार पुत्र इन्दल नि० उलियापुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ द्वारा दिये गये प्रा०पत्र बाबत् अभियुक्तगण द्वारा एक एक राय होकर अपने-अपने हाथों में लाठी-डण्डा, चाकू आदि लेकर हमलावर होकर घर के अन्दर घुस आना, गाली गलौज करना तथा जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के भाई राजकुमार , बांकैलाल के ऊपर लाठी डंडों व चाकू से प्राणघातक हमला कर सिर में चाकू व डंडों से कई बार वार करना, जिससे प्रार्थी के भाई बांकैलाल उम्र करीब 34 वर्ष की मृत्यु हो जाना तथा राजकुमार का इलाज सीएचसी कायमगंज में इलाजरत होने के सम्बन्ध में दिया था । वादी की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली कायमगंज पर मु०अ०सं० 97/2026 धारा 191(2) /191 (3)/190/333/131/115(2)/352/351(3)/118(1)/109/103(1) बीएनएस बनाम 01. जॉनी, 02. शनी आदि 13 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिरखास की सूचना पर 01. जॉनी,02 शनी उपरोक्त को आलाकत्ल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि साहब मेरे परिवार और बांकैलाल के परिवार में काफी समय से रंजिश चली आ रही है। वर्ष 2025 में मेरी भैंस जलाकर मार दी गयी थी तो मेरे घर वालों ने फतेहगढ न्यायालय से बांकैलाल के परिवार वालों पर परिवाद दर्ज करा दिया था, जिसमें बांकैलाल पक्ष के कई लोग जेल में है तथा मुकदमाबाजी भी चल रही है। बांकैलाल के परिवार वालों ने मेरे परिवार के लोगों पर भैंसा चोरी का आरोप लगाया था जिसके सम्बन्ध में संजय अग्रवाल के गोदाम पर वाद विवाद हो गया था। इसके पश्चात हम लोगों में लाठी डण्डा चलने लगा दोनों पक्ष के लोगों के चोटें आ गईं। बांकैलाल की लोहिया अस्पताल जाते समय चोट लगने से मृत्यु हो गयी। साहब गलती हो गयी माफ कर दो। शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त जॉनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

01-मु०अ०सं० 420/2018 धारा 147/148/323/325/504/506 भा०द०वि०

02-मु०अ०सं० 97/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(3)/118(1)/109/103(1) बीएनएस

अभियुक्त शनी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

01- मु०अ०सं० 97/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/333/131/115(2)/352/351(3)/118(1)/109/103(1) बीएनएस

बरामदगी का विवरण:-

01. घटना में प्रयुक्त दो अदद डण्डा लकड़ी (आलाकत्ल)

गिरफ्तारी/बरामदी करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम-

01. प्र०नि० श्री विनोद कुमार शुक्ल

02. उ०नि० ज्ञानप्रकाश पाण्डेय 03. हे०का० मुकेश कुमार 04.का० बबलू 05. का० अंकित

मीडिया सेल फतेहगढ।